झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–807 वर्ष 2017

मेसर्स आकाश कंस्ट्रक्शन, एक साझेदारी फर्म जिसका प्रधान कार्यालय प्रताप नगर, नईसराय, रामगढ़ कैंट, डाकघर, थाना और जिला–रामगढ़में है, अपने एक साथी मुकेश प्रसाद, पे0 अवधेश बिहारी प्रसाद सिन्हा, प्रताप नगर, नईसराय, रामगढ़ कैंट, डाकघर, थाना और जिला–रामगढ़, झारखंड के माध्यम से .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य अपने सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर और थाना–धुर्वा, जिला–रांची के माध्यम से।
2. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई (जल संसाधन), दुमका, डाकघर, थाना और जिला–दुमका।
3. अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई सर्कल, देवघर, डाकघर, थाना और जिला–देवघर।
4. कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचाई प्रभाग, गिरिडीह, डाकघर, थाना और जिला–गिरिडीह

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री के0 सुदरम, अधिवक्ता

राज्य के लिए :– ए0ए0जी0 का जे0सी0

03 / 17.04.2018 याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट की वापसी को छोड़कर, रिट याचिका दायर करने के बाद प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा सभी शिकायतों का निवारण किया गया है। प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं किया गया है।

राज्य के अधिवक्ता ने कहा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट की वापसी प्रक्रियाधीन है और ट्रेजरी ऑफिस द्वारा पारित किए जाने के तुरंत बाद इसे वापस कर दिया जाएगा। राज्य के अधिवक्ता ने अपने निवेदन के समर्थन में कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह द्वारा शपथ लिए गए प्रतिशपथ पत्र के पैरा 10 का हवाला दिया है।

सुरक्षा राशि की वापसी के संबंध में काउंटर हलफनामे के पैरा 10 में दिए गए विशिष्ट बयान के मद्देनजर, मैं रिट याचिका का निपटान करता हूँ, प्रतिवादी अधिकारियों को सभी कदम उठाने का निर्देश देते हुए ताकि इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से सुरक्षा राशि दो महीने के अवधि के भीतर वापस कर दी जाए।

उपरोक्त निर्देश के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(आनंदा सेन सिंह, न्याया0)